संख्या-77/2018/2726 ई-2/तेरह-2018-107/2013

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 अगस्त,2018

विषय:-भारत सरकार के एथनॉल ब्लेण्डिंग प्रोग्राम हेतु बी-हैवी मोलासेस से एथनॉल के उत्पादन की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-52/दो-प्रा0डी0-163/बी-हैवी मोलासेस, दिनांक 02 अगस्त,2018, पत्र संख्या-जी-54/दो-प्रा0डी0-163/बी-हैवी मोलासेस, दिनांक 03 अगस्त,2018, पत्र संख्या-जी-56/दो-प्रा0डी0-163/बी-हैवी मोलासेस, दिनांक 18 अगस्त,2018 एवं पत्र संख्या-जी-58/दो-प्रा0डी0-163/बी-हैवी मोलासेस, दिनांक 20 अगस्त,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि राज्यों में शीरे की पर्याप्त उपलब्धता के दृष्टिगत पेट्रोलियम आयात को कम करने एवं विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना एथनॉल ब्लेण्डिंग प्रोग्राम (E.B.P) के अन्तर्गत शीरे से एथनाल (डिनेचर्ड एनहाइड्रस अल्कोहल) का निर्माण किये जाने एवं पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनाल मिश्रित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि की प्रबल सम्भावनाओं, शीरे की प्रचुर उपलब्धता के दृष्टिगत उसका निस्तारण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की इस योजना को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से बी-हैवी मोलासेस से भी एथनॉल उत्पादन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में बी-हैवी मोलासेस से एथनॉल उत्पादन किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती हैः-

(1) आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा बी-हैवी मोलासेस को मोलासेस की श्रेणी में मानते हुये उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम-1964 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली,1974(यथा संशोधित) के अनुसार कार्यवाही की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) वर्ष 2017-18 की उत्तर प्रदेश शीरा नीति में जिस प्रकार चीनी मिलों में उत्पादित होने वाले शीरे का कुल 12 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है, उसी प्रकार का आरक्षण शीरा नीति के प्रस्तर-18 में बी-हैवी मोलासेस में भी लागू है, जिसे पूर्व से ही में सम्मिलित किया गया है तथा इसे शिथिल करने के सम्बन्ध में आगामी शीरा नीति में विचार किया जाएगा। आवश्यकतानुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा हेतु भी शीरे को आरक्षित किये जाने का प्राविधान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शीरे को एथनाल ब्लेण्डिंग प्रोग्राम के लिये स्वतंत्र रखा जायेगा। सामान्य स्थिति में देशी शराब उत्पादक आसवनियों एवं भारत निर्मित विदेशी शराब निर्माता आसवनियों हेतु सी0 ग्रेड के शीरे को आरक्षित किया जाए। देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिये सी0 ग्रेड के शीरे की कमी होने पर उसकी पूर्ति बी0 हैवी शीरे से आबकारी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) चीनी मिल एवं आसवनी में बी-हैवी मोलासेस को अलग-अलग टैंकों में संचित किया जाए।

(4) आसवनियॉ जिनकी अपनी सहोदर चीनी मिल है तथा एक ही परिसर में स्थापित है, उनके साथ-साथ स्टैण्ड एलोन आसवनियों को भी बी-हैवी मोलासेस से एथनॉल उत्पादन अनुमन्य किया जाए।

(5) बी-हैवी मोलासेस से एथनॉल का उत्पादन आबकारी अधिनियम एवं तत्सम्बन्धी नियमावली के अधीन अनुज्ञापन प्राप्त आसवनियों द्वारा ही किया जाए।

(6) बी-हैवी मोलासेस से उत्पादित एथनॉल का प्रमाण-पत्र संबंधित आसवनी के प्रभारी आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(7) बी-हैवी मोलासेस से उत्पादित एथनॉल को आसवनी के वेयर हाउस में स्थित अलग वैट्स में संचित किया जाए।

(8) राज्य में चीनी की कमी होने पर ऐसी चीनी मिल इकाइयां चीनी उत्पादन के लिए बाध्य होंगी, जिसके संबंध में गन्ना विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(9) बी-हैवी मोलासेस से उत्पादित एथनॉल के उत्पादन, संचय एवं निकासी से संबंधित समस्त विवरण आसवनी स्तर पर अन्य पदार्थ से उत्पादित एथनाल से पृथक रखे जायेंगे।

(10) बी-हैवी मोलासेस के चीनी मिल से संबंधित आसवनी को पाइप लाइन द्वारा स्थानान्तरित किया जायेगा। इस निमित्त चीनी मिल एवं आसवनी स्थल पर एक ही प्रकार के वे-मेन्ट सिस्टम दोनों स्तर पर स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक कार्य दिवस में स्थानान्तरित बी-हैवी मोलासेस का एक एम0एफ0-4 पास के सदृश्य एम0एफ0-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4 क पास चीनी मिल स्तर पर उप आबकारी निरीक्षक द्वारा निर्गत किया जायेगा, जिसका सत्यापन आसवनी स्तर पर प्रभारी आबकारी निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(11) बी-हैवी मोलासेस के पाइप लाइन ट्रान्सफर में होने वाले कैन्टामिनेशन को रोकने का पूर्ण दायित्व चीनी मिल अध्यासी एवं संबंधित आसवनी का होगा।

(12) बी-हैवी मोलासेस से एथनॉल उत्पादन के निमित्त अल्कोहल की रिकवरी का आंकलन यथा नियम उक्त बी-हैवी मोलासेस में उपलब्ध फरमेन्टेबुल शुगर के आधार पर किया जायेगा।

(13) प्रदेश में देशी मदिरा के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा देशी मदिरा की कीमत निर्धारित करने के लिये ई0एन0ए0 के आगणित दर पर ई0एन0ए0 की आपूर्ति न होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश में स्थापित उन आसवनियों को जिनके परिसर में ई0एन0ए0 प्लान्ट स्थापित है, उस सीमा तक जितना कि देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु आवश्यक है, ई0एन0ए0 निर्माण अनिवार्य करते हुये देशी मदिरा निर्माता आसवनियों को आपूर्ति किये जाने हेतु आदेश दिया जाएगा।

(14) प्रदेश में स्टैण्ड एलोन बी-हैवी मोलासेस से एथनॉल का उत्पादन करने वाली आसवनियों को इस शर्त के साथ एथनॉल निर्माण की अनुमति प्रदान की जाएगी कि प्रदेश स्थित ऐसी आसवनियां शीरे से ही एथनाल का निर्माण करेंगी न कि किसी अन्तरवर्ती उत्पाद यथा रेक्टीफाइड स्प्रिट से।

भवदीया,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-77/2018/2726(1) ई-2/तेरह-2018-107/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in